संख्या–993/नौ–9–20–96ज/20

प्रेषक,

दीपक कुमार
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **समस्त जिलाधिकारी**, उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त नगर आयुक्त**, नगर निगम उत्तर प्रदेश।
3. **समस्त अधिशासी अधिकारी**, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग–9 **लखनऊ : दिनांक : 12 जून, 2020**

विषयः– पीएम स्ट्रीट वेन्डर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना का क्रियान्वयन।

महोदय,

पथ विक्रेता शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं। शहरी क्षेत्रों में घर–घर जाकर जन सामान्य को किफायती दरों पर वस्तुएं/सामग्री उपलब्ध कराने में शहरी पथ विक्रेताओं द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जाता है। उपर्युक्त पटरी के दुकानदार (पथ विक्रेता) न केवल रोजमर्रा के प्रयोग में आने वाली सामग्री जैसे कि दूध, ब्रेड, फल, सब्जी आदि आवश्यक वस्तुओं को शहरी निवासियों के द्वार तक पहुँचाने का कार्य करते है बल्कि आम नागरिकों हेतु दैनिक जीवन में आवश्यक विभिन्न सेवाओं जैसे कि बाल काटने, कपड़े सिलने, जूते चप्पल की मरम्मत करने, लाण्ड्री आदि जैसे सेवा संबंधी कार्यो हेतु भी पथ विक्रेताओं द्वारा कार्य किया जाता है।

2. वर्तमान में कोविड–19 के संक्रमण को रोकने हेतु उठाये गये कदमों, विशेषकर लॉकडाउन के कारण शहरी पथ विक्रेताओं के व्यापार पर असरकारी प्रभाव पड़ा है। उक्त के दृष्टिगत् शहरी पथ विक्रेताओं को आत्म निर्भर बनाने एवं उनके द्वारा अपना कार्य फिर से पुनः प्रारम्भ किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा आर्थिक पैकेज के रूप में आसान ऋण सुविधा के द्वारा कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराए जाने हेतु पीएम स्ट्रीट वेन्डर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना का आरम्भ वित्तीय वर्ष 2020–21 से किया गया है।

3. यह योजना पूर्ण रूप से आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसके द्वारा पात्र पथ विक्रेताओं को रू0 10,000/– की कार्यशील पूँजी ब्याज अनुदान आधारित आसान ऋण पर उपलब्ध करायी जाएगी, जो कि नियमित धन–वापसी आधारित है एवं डिजिटल लेन–देन को प्रोत्साहित करती है। उपर्युक्त योजना के महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत हैः–

1. **योजना का आच्छादन** –योजना प्रदेश के समस्त नगर निकायों में संचालित होगी।
2. **योजना के लाभ हेतु पात्रता**– उक्त योजनान्तर्गत पात्र शहरी पथ विक्रेता निम्नवत् होगेंः–
   - **2.1** ऐसे पथ विक्रेताओं, जिनके द्वारा 24 मार्च, 2020 से पूर्व विक्रय की गतिविधियाँ की जाती रही हैं और जिनको नगर निकाय के द्वारा विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र जारी किए गए हैं।
   - **2.2** ऐसे पथ विक्रेता, जो कि सर्वे के माध्यम से चिन्हित किए गए हैं, परन्तु उनको विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र जारी नहीं किए गए हैं। ऐसे पथ विक्रेताओं को नगर निकाय द्वारा एक माह के अन्दर विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र उपलब्ध कराए जाएंगें।
   - **2.3** ऐसे पथ विक्रेता, जो सर्वे में छूट गये अथवा जिन्होंने सर्वे उपरान्त विक्रय गतिविधियाँ प्रारम्भ की हैं, उनको नगर निकाय/टाउन वेन्डिंग कमेटी द्वारा संस्तुति पत्र (Letter of Recommendation) जारी किए जाएँगें।
   - **2.4** ऐसे पथ विक्रेता, जोकि स्थानीय नगर निकाय के भौगोलिक सीमा के इर्द गिर्द विकसित हो रहे क्षेत्र/पेरी अर्बन/ग्रामीण क्षेत्रों के है परन्तु वास्तविक रूप से पथ विक्रेता का कार्य नगरीय निकाय की भौगोलिक सीमा के अन्तर्गत करते है और इस कार्य हेतु उन्हें संबंधित स्थानीय नगरीय निकाय/टाउन वेन्डिंग कमेटी द्वारा संस्तुति पत्र (Letter of Recommendation) जारी किया गया है।

Scanned with CamScanner

2.5 उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न श्रेणी के पथ विक्रेताओं को भी इस योजना में आच्छादित किया जायेगा:-

(i) ऐसे पथ विक्रेता, जिनको राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान सहायता उपलब्ध करायी गयी

अथवा

(ii) ऐसे पथ विक्रेता, जो ऋणप्रदाता के संस्तुति पत्र के साथ आवेदन प्रस्तुत करते हैं, उनको नगर निकाय/टीवीसी द्वारा संस्तुति पत्र (Letter of Recommendation) जारी किए जाएँगें

अथवा

(iii) ऐसे पथ विक्रेता, जो नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेन्डर्स ऑफ इण्डिया/ नेशनल हॉकर फेडरेशन/सेल्फ इम्प्लॉयड वूमेन्स एसोसिएशन की सदस्यता का विवरण आवेदन के साथ प्रस्तुत करें

अथवा

(iv) ऐसे पथ विक्रेता, जो विक्रय किए जाने का प्रपत्र प्रस्तुत करें अथवा जिनकी स्थानीय जाँच रिपोर्ट नगर निकाय/टीवीसी द्वारा स्वयं सहायता समूह, सामुदायिक आधारित संगठनों के समन्वय के साथ प्रस्तुत की गयी हो।

2.6 पथ विक्रेताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन पर सत्यापन कर 15 दिवसों में संस्तुति पत्र (Letter of Recommendation) की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। उपरिवर्णित प्रक्रिया के अतिरिक्त भी संबंधित नगरीय निकाय इस योजना हेतु पात्र पथ विक्रेताओं को चिन्हित किये जाने के लिये स्थानीय स्तर पर अन्य प्रक्रिया/उपाय भी अपना सकते है, जो कि उपर्युक्त योजना का लाभ सकारात्मक रूप से समस्त पात्र पथ विक्रेताओं को आच्छादित किये जाने में सहायक हो।

2.7 ऐसे पथ विक्रेता, जो कोविड-19 महामारी के मध्य लॉकडाउन अवधि के दौरान अपने मूल निवास चले गये हैं, इस बात की प्रबल संभावना है कि स्थिति सामान्य होने पर वापस आकर अपने व्यापार को प्रारम्भ करने के लिये लौटे। ऐसे पथ विक्रेताओं को भी उपरिवर्णित प्रक्रिया के अनुसार पात्रता की श्रेणी में आने पर योजना से लाभान्वित किया जायेगा।

3 **योजना लाभ का संक्षिप्त विवरण**-शहरी पथ विक्रेता एक वर्ष की अवधि के लिये रूपये 10000/- तक के कार्यकारी पूंजी (डब्ल्यूसी) ऋण प्राप्त करने और ऋण वापसी मासिक किश्तों में करने के पात्र होंगे। इस ऋण के लिये कोई कोलेट्रल नहीं लिया जाएगा।

3.1 समय पर या जल्द ऋण वापसी करने पर विक्रेता संवर्धित सीमा वाले अगले कार्यकारी पूंजी ऋण के पात्र होंगे। निर्धारित तिथि से पूर्व ऋण वापसी करने पर विक्रेताओं पर कोई पूर्व भुगतान जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

3.2 **ब्याज सब्सिडी** - इस स्क्रीम के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने वाले विक्रेता, 7 प्रतिशत की दर पर ब्याज सब्सिडी के पात्र होंगे। ब्याज सब्सिडी की राशि ऋणप्राप्तकर्ता के खाते में त्रैमासिक रूप से जमा की जायेगी। ऋणदाता प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली तिमाहियों के लिए ब्याज सब्सिडी के दावे त्रैमासिक रूप से प्रस्तुत करेंगे। उन्हीं ऋणप्राप्तकर्ता के खातों के संबंध में सब्सिडी पर विचार किया जायेगा जो संबंधित दावों की तिथि को मानक (वर्तमान आरबीआई दिशा निर्देशों के अनुसार गैर-एनपीए) हैं और उन महीनों के दौरान जब संबंधित तिमाही में खाता मानक बना रहा है।

यह ब्याज सब्सिडी 31 मार्च, 2022 तक उपलब्ध है। यह सब्सिडी प्रथम और बाद के उस तिथि तक वर्णित ऋणों के लिये उपलब्ध होगी।

पूर्व भुगतान के मामले में, सब्सिडी की स्वीकार्य राशि एक बार में जमा की जायेगी।

3.3 **विक्रेताओं द्वारा डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देना**- यह योजना कैश बैक सुविधा के माध्यम से विक्रेताओं द्वारा डिजिटल लेनेदन को प्रोत्साहित करेगी। इस तरह से किया गया लेन-देन उनकी भविष्य की ऋण जरूरतों को बढ़ाने के लिये विक्रेताओं

Scanned with CamScanner

के क्रेडिट स्कोर का सृजन करेगा। पे–टीएम, गूगल पे, भारत पे, अमेजन पे, फोन पे आदि जैसे डिजिटल पेमेन्ट एग्रेगेटर्स और ऋण प्रदाता संस्थाओं के नेटवर्क का उपयोग ऑनबोर्ड पथ विक्रेताओं के डिजिटल लेन–देनों हेतु किया जायेगा। ऑनबोर्ड विक्रेताओं को निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार 50 रूपये से 100 रूपये की मध्य में मासिक नकदी वापसी का प्रोत्साहन दिया जायेगा।

(1) प्रति माह 50 योग्य लेन–देन पर रूपये 50

(2) प्रति माह अगले 50 अतिरिक्त योग्य लेन देन पर रूपये 25 (यानी की 100 योग्य लेन देन करने पर वेन्डर को रूपये 75 प्राप्त होगें)

(3) प्रति माह उससे आगे 100 अतिरिक्त योग्य लेन देन पर रूपये 25 (यानी की 200 योग्य लेन देन करने पर वेन्डर को रूपये 100 प्राप्त होंगे)

(कम से कम रूपये 25 के डिजिटल प्राप्ति या भुगतान को ही योग्य लेन–देन माना जायेगा।)

4. **ऋण देने हेतु संस्था** – अनुसूचित व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), लघु वित्त बैंक (एसएफसी), सहकारी बैंक, गैर–बैकिंग वित्तीय कम्पनियां (एनबीएफसी), माइक्रो वित्त संस्थाएं (एमएफआई) और कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्थापित एसएचजी बैंक जैसे स्त्रीनिधि आदि। ऋण प्रदाता संस्थाओं को उनके क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं अर्थात बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट (बीसी)/ग्राहकों/एजेंटों को व्यापक रूप से योजना का अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिये उनके नेटवर्क का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

5. **ब्याज दर**– अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), लघु वित्त बैकों (एसएफबी), सहकारी बैंकों और एसएचजी बैंकों के मामले में, यह दरें उनकी प्रचलित ब्याज दरों के अनुसार ही होंगी।

एनबीएफसी, एनबीएफसी – एमएफआई इत्यादि के मामले में, ये ब्याज दरें संबंधित ऋणदाता श्रेणी के लिये आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।

आरबीआई के दिशा–निर्देशों के तहत शामिल न किये गये एमएफआई (गैर एनबीएफसी) तथा अन्य ऋणदाता श्रेणियों के संबंध में, योजना के तहत ब्याज दरें एनबीएफसी–एमएफआई के लिये वर्तमान आरबीआई दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रयोज्य होंगी।

6. **विक्रेताओं के समूह का गठन** – प्रचलित प्रथा के अनुसार, कोई ऋण देने वाली संस्था पात्र विक्रेताओं का ज्वाइन्ट लायबिलिटी ग्रुप (जेएलजी) का गठन कर सकती है। राज्यों द्वारा पहले से गठित पथ विक्रेताओं के कॉमन इन्टरेस्ट ग्रुप (सीआईजी) को ऋणदाता संस्थाओं द्वारा जेएलजी में परिवर्तित किया जा सकता है। शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) द्वारा योजना का अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए पथ विक्रेताओं के सीआईजी का गठन करने के लिए व्यापक रुप से प्रोत्साहित करना चाहिए। यूएलबी द्वारा तैयार की गई पथ विक्रेताओं की सीआईजी की सूची को ऋणदाता संस्थाओं के साथ साझा किया जाएगा। इसी प्रकार, ऋणदाता संस्थाएं तैयार की गई पात्र पथ विक्रेताओं की जेएलजी सूची को संबंधित यूएलबी के साथ साझा करेंगी।

ऐसे समूहों के गठन को प्राथमिकता दी जाती है और उन्हे प्रोत्साहित किया जायेगा। हालांकि यह व्यक्तिगत विक्रेताओं को ऋण लेने से नहीं रोकता है।

7. **कार्यान्वयन प्रणाली**–नगरीय निकाय द्वारा टीवीसी सदस्यों, बीसी (Business Correpondent)/सदस्यों/ऋणदाता संस्थाओं के एजेन्टों, विक्रेता संघ की आरंभिक बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक के दौरान पथ विक्रेताओं और ऋणदाता संस्थाओं के क्षेत्र स्तरीय पदाधिकारियों से संबंधित सूचना साझा की जाएगी।

7.1 नगरीय निकाय द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार जारी किए गए सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग/आईडी कार्ड के साथ आवेदक (स्ट्रीट वेन्डर) बैंकों/एनबीएफसी और एमएफआई के प्रतिनिधियों से संपर्क कर सकते हैं या Bank/NBFC/MFI द्वारा भी Street Vendors से सम्पर्क किया जा सकता है। बीसी और बैंक एजेन्ट सहित

Scanned with CamScanner

ऋणदाता प्रतिनिधि आईटी प्लेटफार्म/मोबाईल ऐप के सर्च इंजन में प्रासंगिक ब्यौरा प्राप्त करने में निर्णायक होंगे। सफल मामलों के लिए लाभार्थियों के मोबाईल पर भेजे गए ओटीपी (OTP) के माध्यम से लाभार्थी का सत्यापन होगा।

7.2 पहचान सर्वेक्षण में शामिल और सीओवी/आईडी जारी न किए गए पथ विक्रेताओं के लिए एक अनन्तिम सीओवी/आईडी बनाने के लिए आईटी ऐप्लिकेशन में एक प्राविधान किया जाएगा। सत्यापन पश्चात, बीसी/एजेन्ट आवेदन पत्र भरेंगे और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करेंगें। भरे हुए आवेदनों की जानकारी फिर इलेक्ट्रॉनिक रूप से शहरी स्थानीय निकायों/टीवीसी को स्थानान्तरित की जायेगी। शहरी स्थानीय निकायों/टीवीसी को एक पखवाड़े (14दिन) के भीतर विवरण को सत्यापित करना होगा, जिसके पश्चात आवेदन मंजूरी के लिए संबंधित ऋणदाता संस्थान के पास जाएगा।

7.3 पहचान सर्वेक्षण में शामिल नहीं किए गए पथ विक्रेताओं को योजना के लाभ हेतु पात्रता हेतु निर्धारित प्रस्तर में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ बीसी/बैंक एजेंट से संपर्क कर सकते है। एजेंट यह सुनिश्चित करेगा कि इस प्रकार के लाभार्थियों के लिए पहचान दस्तावेज पहले अपलोड किये जाएं और बाद में ऊपर बताई गई एक समान प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। शहरी स्थानीय निकाय विवरणों को सत्यापित करेंगे और ऋणदाता को अग्रेषित करने से पहले सिफारिश पत्र संलग्न करेंगे। सिफारिश पत्र की एक प्रति आवेदक को भी दी जाएगी।

7.4 **समय सारणी**– तैयारी संबंधी गतिविधियों, जिन्हें **संलग्नक–क** में दर्शाया गया है, को जून, 2020 के दौरान किया जाएगा और जुलाई, 2020 से ऋण देना शुरू हो जाएगा।

7.5 **क्षमता निर्माण और वित्तीय साक्षरता** – योजना का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न हितधारकों जैसे बीसी/ऋणदाता संस्थाओं के एजेन्ट जैसे बैंक/एनबीएफसी/एमएफआई, एसएचजी, कार्यान्वयन निकायों अर्थात यूएलबी/ टीवीसी और डिजीटल पेमेन्ट एग्रेगेटर्स की क्षमता निर्माण करने के लिए एक विस्तृत क्षमता निर्माण प्लान तैयार किया जाएगा।

इस योजना का लाभ प्रभावी और बेहतर रूप से लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए स्थानीय और सोशल मीडिया सहित विभिन्न मंचों पर अभिनव उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय आवश्यक सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री और क्षमता निर्माण मोड्यूल उपलब्ध कराएगा।

8. **योजना प्रचालन के लिए समेकित आईटी ऐप्लिकेशन** – योजना के संचालन करने के लिए मोबाईल ऐप सहित एक समेकित आईटी प्लेटफार्म आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार किया जायेगा। यह पोर्टल योजना के संचालन में एक सशक्त समाधान उपलब्ध कराएगा। आईटी प्लेटफार्म राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वेंडर डाटाबेस को बीसी/सदस्य/ऋणदाता संस्थाओं के एजेन्ट, डिजीटल पेमेन्ट एग्रेगेटर्स और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को PAiSA पोर्टल और भारतीय लघु उद्यम विकास बैंक (सिडबी) द्वारा प्रबंधित उद्यमी मित्र पोर्टल के साथ समेकित करेगा।

9. **कार्यान्वयन सहभागी** – भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार का उक्त कार्यक्रम के लिये सहभागी बनाया गया हैं। सिडबी योजना कार्यान्वयन के लिए एससीबी, आरआरबी, एसएफबी, सहकारी बैंक, एनबीएफसी और एफएफआई सहित ऋणदाता संस्थाओं के नेटवर्क का लाभ उठायेगी ।।

10. **योजना का अनुश्रवण** – योजना के प्रभावी क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण हेतु राज्य एवं नगर निकाय स्तर पर निम्नलिखित समितियां गठित की जायेगी–

10.1 योजना के दिशा निर्देशानुसार प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में **राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति** का निम्नवत् गठन किया जायेगा :–

Scanned with CamScanner

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
3. राज्य प्रतिनिधि, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया	सदस्य
4. राज्य प्रतिनिधि, सिडबी	सदस्य
5. समन्वयक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	सदस्य
6. अधिकतम् 05 नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी (चक्रानुक्रम के आधार पर)	सदस्य
7. अधिकतम् 02 विशेष आमंत्री, एन0बी0एफ0सी0/एम0एफ0आई0 (अध्यक्ष द्वारा नामित)	विशेष आमंत्री
8. अध्यक्ष द्वारा नामित अन्य अधिकारी	सदस्य
9.निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा)	सदस्य समन्वयक

राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा कम से कम 03 माह के समयान्तराल पर बैठक की जाएगी।

10.2 योजना के दिशा निर्देशानुसार नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी की अध्यक्षता में नगर निकाय स्तर पर ऋण आवेदनों का आधिकारिक रूप से प्रबंधन, अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन हेतु समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है:–

1. नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी	अध्यक्ष
2. जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक	सदस्य
3. अधिकतम् 03 टाउन वेन्डिंग कमेटी के गैर सरकारी प्रतिनिधि, (अध्यक्ष द्वारा नामित)	सदस्य
4. प्रतिनिधि, एन0बी0एफ0सी0/एम0एफ0आई0 (प्रत्येक से एक–एक अध्यक्ष द्वारा नामित)	सदस्य
5. प्रतिनिधि, सिटी लेवल फेडरेशन/एरिया लेवल फेडरेशन	सदस्य
6. परियोजना अधिकारी, डूडा	सदस्य समन्वयक

नगर निकाय स्तर पर ऋण आवेदनों का आधिकारिक रूप से प्रबंधन, अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन हेतु समिति द्वारा अनिवार्यतः प्रत्येक माह बैठक की जाएगी एवं आवश्यकतानुसार समिति द्वारा एक से अधिक बैठक भी माह में आहूत की जा सकेगी।

10.3 जनपद स्तर पर प्रगति का अनुश्रवण– प्रत्येक जनपद में उपरिवर्णित प्रस्तर में गठित निकाय स्तरीय क्रियान्वयन समिति द्वारा माह में की गयी कार्यवाही की प्रगति की समीक्षा **जिलाधिकारी** द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। अतएव निकाय स्तरीय समिति के सदस्य समन्वयक इस विषय में माह में की गयी प्रगति को प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय के माध्यम से जिलाधिकारी के समक्ष नियमित रूप से प्रस्तुत करेंगे एवं जनपद स्तर पर गठित जिला स्तरीय बैंक समिति की बैठकों में भी उपरोक्त योजना की प्रगति को अनिवार्य एजेन्डे के रूप में किया जायेगा। संबंधित मण्डलायुक्तगण द्वारा अपने–अपने मण्डल के निकायों की प्रगति समीक्षा तदनुसार मासिक रूप से की जायेगी।

4. उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरिवर्णित निर्देशों के क्रम में योजना का प्रभावी क्रियान्वयन कर पात्र पथ विक्रेताओं को लाभान्वित किये जाने हेतु बनी समय सारिणी व बिन्दुओं के अनुरूप यथाशीघ्र प्रत्येक निकाय में कार्यवाही आरम्भ की जाये। इस विषय में निकाय स्तरीय गठित समिति की बैठक तत्काल आहूत की जाये और प्रगति से निदेशक, स्थानीय निकाय एवं निदेशक, सूडा को अवगत कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

Scanned with CamScanner

संख्या एवं दिनांक तदैवः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निदेशक, सूडा, उत्तर प्रदेश।
6. कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग/वेब मास्टर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार शर्मा)
विशेष सचिव।

Scanned with CamScanner

संलग्नक–क

जून, 2020 के दौरान प्रारम्भिक गतिविधियां

क्र.	गतिविधि
1.	योजना और संबंधित गतिविधियों के बारे में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य हितधारकों को सूचना प्रसारित करना
2.	प्रचालन संबंधी दिशा–निर्देश जारी करना
3.	संबंधित ऋणदाता संस्थानों के बीसी/घटकों/एजेटों की मैपिंग करना
4.	टीवीसी सदस्यों समेत ऋणदाता संस्थाओं के बीसी/घटकों/एजेंटों, विक्रेता संघों, एसएचसी संघों आदि के साथ यूएलबी द्वारा प्रारंम्भिक बैठकें आयोजित करना।
5.	सभी हितधारकों अर्थात यूएलबी/टीवीसी अधिकारियों, ऋणदाता संस्थानों के बीसी/घटकों/एजेंटों, डिजिटल भुगतान एग्रीगेटर्स, एसएचजी और उनके संघ और डीएवाई–एनयूएलएम (DAY-NULM) के अधिकारी आदि के लिये क्षमता निर्माण।
6.	यूएलबी द्वारा पथ–विक्रेताओं के कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप्स (सीआईजी) का गठन
7.	ऐसे विक्रेताओं की पहचान के लिये जो सर्वेक्षण से बाहर रह गए या आसपास के/विकासात्मक/ग्रामीण क्षेत्रों से शहर में विक्रया करते हैं, निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जा सकता है:
(क)	यूएलबी द्वारा डीएवाई–एनयूएलएम के तहत एसएचजी/ संघों के माध्यम से त्वरित सर्वेक्षण करवाना और या
(ख)	यूएलबी द्वारा आवेदन आमंत्रित करना
8.	पंक्ति 7 में उल्लिखित विक्रेताओं के लिये अनुशंसा पत्र (लेटर ऑफ रिकमेन्डेशन) जारी करना
9.	सर्वेक्षण सूची में शामिल सभी पथ–विक्रेताओं को सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग /पहचान–पत्र (आईडी) जारी करना
10.	ऋणदाता संस्थानों के बीसी/घटकों/एजेटों, द्वारा जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप (जेएलजी) का गठन आरम्भ करना
11.	ऋण आवेदनों को एकीकृत करके उन पर कार्यवाही करना

Scanned with CamScanner